नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

ठासीन अधिकारीः– अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
13/2023	01.09.2023	10/02/2025

1. रामकरण पुत्र प्रताप जाति ब्राहम्ण उम्र 64 वर्ष पेशा काश्त निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. दीपक कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 42 वर्ष
3. प्रहलाद पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 45 वर्ष
4. राजेश कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 48 वर्ष
5. श्रीमति नार्थी देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहम्ण उम्र 68 वर्ष समस्त निवासीयान ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

स्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर गुप्ता प्रार्थी की और से।

:– निर्णय –:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 ा0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या गायत 4 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 5 के पति स्व0 बाबूलाल व अन्य के विरूद्व समे का वाद पत्र उनवानी रामकरण बनाम मूलचंद वगैरहा नम्बरी 9/23 श्रीमान् ्यायालय में प्रस्तुत किया था जो दिनांक 24.06.2005 को सभी पक्षकारान् की ति से राजीनामे के आधार पर डिकी फरमा दिया गया। प्रार्थी के भाई बाबूलाल स्वर्गवास करीब 5 वर्ष हो गये है तथा दूसरे भाई मूलचंद का स्वर्गवास हुये ब 8 वर्ष हो गये तथा बजरंगलाल का स्वर्गवास हुये करीब 3 वर्ष हो गये है। प्रकरण का विवाद केवल प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के विरूद्ध ही होने केवल उन्हें ही इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। राजीनामे के आधार किये गये बंटवारे में अन्य आराजीयात के अलावा ख0नं0 3470 में उत्तर दिशा 0.25 है0 भूमि प्रार्थी के हिस्से में आयी तथा इसमें शेष बची हुई 0.32 है0 र तरफ की अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता अर्थात प्रार्थी के खास भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बूलाल के हिस्से में आयी थी। चारो भाईयो के हिस्से में आयी भूमि का बंटवारे आधार पर नामांतकरण खुलकर चारो भाई रामकरण, बाबूलाल, मूलचंद, रंगलाल के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जिसमें ख0न0 3470 कुल रकबा 57 है0 में 0.25 है0 ख0न0 3470 के रूप में प्रार्थी के नाम दर्ज हुई तथा ख0न0 70/1 रकबा 0.32 है0 के रूप में भाई बाबूलाल के नाम दर्ज हुई एवं बाबूलाल मृत्यु के उपरांत अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज हो गई जो जमाबंदी कोर्ड में दर्ज चली आई है केवल मात्र ख०न० 3470 से बने इन दोनो आराजीयात रास्ता दर्ज ना होने का ही विवाद है । पटवारी हल्का के पास मौजूद नक्शा मे ख0न0 3470 की अभी तक भी तरमिम नही होने के कारण नक्शा ट्रेस न0 3470 रकबा 0.57 है0 ही दर्ज चली आयी है जबकि जमाबंदी रिकोर्ड में ज होकर ख0न0 3470 के दो भाग होकर ख0न0 3470 में 0.25 है0 भूमि प्रार्थी नाम तथा ख0न0 3470/1 के रूप मे रकबा 0.32 है0 अप्रार्थी बाबूलाल व उसके उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के नाम दर्ज चली आयी है। क्तानुसार पटवार हल्का के पास मौजूद नक्शा शीट मे उक्त ख0न0 3470 की म ही नही हुई है तथा इस आराजी के बने उक्त दोनो नम्बरो का जो ऑनलाईन ा जारी हुआ है उसमे भी उक्त दोनो आराजीयात मौके की स्थिति के अनुसार ना होकर गलत दर्ज हो रही है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 3470 रकबा 0.25 है0 अप्रार्थीगण दो (क) लगायत पांच की भूमि ख0न0 3470/1 रकबा 0.32 है0 को लाईननक्शे मे गलत रूप से रोड के लगत हुये दिखाया गया है जबकि मौके रोड से लगती हुई लम्बाई में केवल मात्र प्रार्थी की भूमि है तथा अप्रार्थीगण की प्रार्थी की भूमि के पीछे स्थित है। इस प्रकार इस ऑन लाईन नक्शे में दुरस्ती जाना आवश्यक है तथा पटवार हल्का के पास मौजुद नक्शाशीट में उक्त जी ख0न0 3470 कुल रकबा 0.57 है0 की तरमिम/दुरस्ती की जाकर रोड से हुई प्रार्थी की भूमि ख0न0 3470 रकबा 0.25 है0 दर्ज किया जाना एवं प्रार्थी मि के पीछे अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के नाम दर्ज ख0न0 3470/1 रकबा 0. 0 दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि मौके पर पक्षकारान् के मध्य किसी का विवाद ना हो। उक्त विवाद के अलावा निर्ण[illegible] के अनुसार राजस्व व नक्शाशीट में रास्ते का भी [illegible] में रास्ते वरण स्पष्ट रूप से दिया हुआ है जिसके अनुसार ख0न0 3536, 3537, में से से लेकर ख0न0 3535 तक जाने के लिए 10 फिट चौडा रास्ता धोरे के सहारे होकर यह रास्ता ख0न0 3535 से 3530–31 तक बना हुआ कुँए तक जा रहा

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वो दर्ज होना आवश्यक है तथा ख0न0 357 मे से 15 फिट चौड़ा 130 फिट की म्बाई का रास्ता दक्षिण से उतर की ओर ख0न0 354, 355 में जाने का दर्ज किया ाना आवश्यक है। उक्त रास्ता शुरू से मौके पर मौजूद है तथा इसी कारण जीनामे मे भी इसका विवरण दर्ज है। प्रार्थी ने पटवार हल्का व तहसीलदार महोदय कई बार दुरस्ती के लिए निवेदन किया था तो पहले तो वह आश्वासन देते रहे किन उन्होने कोई उचित कार्यवाही नही की तथा आखिरी में दो रोज पूर्व प्रार्थी श्रीमान् के न्यायालय में कार्यवाही कर आदेश ना आने पर नक्शाशी में उक्त पूर्ण दुरूस्ती व तरमिम की जाने के लिए कहा इस कारण प्रार्थी के लिए यह र्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।यह कि इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई का मान् न्यायालय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस पर है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर पटवारी हल्का के पास मौजूद नक्शाशीट एवं ऑन न जारी हुये नक्शा वाके ग्राम सूरवाल में तरमिम / दुरूस्ती की जाकर सवाई ोपुर से लालसोट की जाने वाले रोड से लगती हुई भूमि ख0न0 3470 रकबा 5 है0 के रूप में एवं प्रार्थी की इस भूमि के बाद इससे इसके पीछे अप्रार्थीगण गायत 5 की भूमि ख0न0 3470/1 रकबा 0.32 है० को दर्ज किये के आदेश ीलदार स0मा0 को फरमाये जावे एवं इसके पीछे ख0न0 3470/1 रकबा 0.32 दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे तथा ऑन लाईन नक्शे मे ख0न0 3470 ा 0.25 है0 को इस रोड के अटेच लगते हुये एवं ख0न0 3470/1 रकबा 0.32 को इसके पीछे दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे। उसी प्रकार रास्ता नक्शाशीट व जमाबदी रिकोर्ड में रास्ता कायम कर ख0न0 354 व 355 राजस्व सूरवाल मे आवागमन हेतु 15 फिट चौडा एवं 130 फिट लम्बा रास्ता दक्षिण तर की ओर ख0न0 357 मे से कायम कर दर्ज किये जाने व उसी प्रकार ख0न0 3537, मे से गडार से लेकर ख0न0 3535 तक आवागमन के लिए 10 फिट रास्ता धोर के सहारे सहारे जो ख0न0 3535 से 3530–31 तक बना हुआ तक जा रहा है को भी दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार जी महोदय ० को फरमाये जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर की के जरिये नोटिस की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई र से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित है कि वाद का बिंदु संख्या 1 में वर्णित राजीनामा वाद के साथ संलग्न किया

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

आ है। वाद का बिंदु संख्या 2 माननीय न्यायालय से संबंधित है। हाल खसरा बर 3470 रकबा 0.25 है0 जो कि रामकरण पुत्र प्रताप जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज एवं खसरा नंबर 3470/1 रकबा 0.32 है0 दिपक कुमार पुत्र बाबूलाल हि0 1/4 वं नाथी देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल हि0 1/4 जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज है जो कि मा संख्या 1754 निर्णय दिनांक 25.01.2021 विरासत से मृतक बाबूलाल के वारिसान नाम आयी है। नामा संख्या 1466 दिनांक 22.07.2015 के द्वारा खसरा नंबर 3470 कबा 0.25 है0 उत्तर की तरफ का हिस्सा रामकरण पुत्र प्रताप जाति ब्राहम्ण के म तथा 3470/1 रकबा 0.32 है0 दक्षिण भाग बाबूलाल पुत्र प्रताप जाति ब्राहम्ण नाम स्वीकार हुआ। मौका स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 3470 जो कि सडक लगता हुआ है, रामकरण काबिज है। खसरा नंबर 3470/1 जो रामकरण के छे दक्षिण में है। बाबूलाल के वारिसान काबिज है। जबकि डिकी के आदेश और मा0 का नक्शाशीट से तरमीम करते समय रिकार्ड के विपरीत तरमीम कर दी । अर्थात 3470 रकबा 0.25 है0 जो कि वादी के नाम है उसे दक्षिण कर में कर या व 3470/1 रकबा 0.32 है0 जो कि बाबूलाल के वारिसान के नाम है उत्तर शा में कर दिया। जबकि नामा0 में स्पष्ट रूप से दिशाये लिखी हुई है। वर्तमान शा शीट में तरमीम की हुई है एवं खसरा नंबर 3470/1 उत्तर में व 3470 क्षण में दिखाया हुआ है। जो राजीनामा के आधार पर जारी डिकी आदेश के रीत है। ऑनलाईन नक्शाशीट में अंकित खसरा नंबर भौतिक स्थिति के अनुसार 0/1 के स्थान पर 3470 व 3470 के स्थान पर 3470/1 किया जाना उचित मुताबिक डिकी राजीनामा दिनांक 24.06.2015 के अनुसार ख0न0 3535 तक जाने के लिए ख0न0 3537 की उत्तरी पूर्वी मेड ख0न0 3536 की पूर्वी मेड ख0न0 3535 की पश्चिमी मेड के सहारे 10 फीट चौडा रास्ते का भी अंकन ा जाना उचित है। खसरा नंबर 354 एवं 355 जो कि वादी के नाम दर्ज है में जाने के लिए खसरा नंबर 357 जो कि अप्रार्थीगण के नाम थी लेकिन वर्तमान ामा0 संख्या 1157 दिनांक 19.12.2023 जरिये बेचान ईशाक शेख पुत्र नसरूद्दीन हि0 83/108 एवं मो0 फरीद पुत्र जहीर मो0 हि 25/108 शेष इंद्राज वद 0 स्वीकार है के उत्तर की तरफ से 15 फीट ... में प्रार्थी के खेत तक ने का रास्ता रिकार्ड में दिया जा... ...से द्वारा नही दिया । मौके पर यह रास्ता बना हुआ है, जो डिकी आदेश के अनुसार अंकिता किया उचित हैं। इसके अतिरिक्त वादी रामकरण अपने खातेदारी खसरा नंबर 355 7.5X130 फीट भूमि प्रतिवादी बाबूलाल के खसरा नंबर 357 के सहारे रास्ते

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लिए भूमि देगा। जिसका भी अंकन किया जाना उचित है। वाद का बिंदु संख्या व 9 अपेक्षित नहीं है। हाल नक्शा शीट में मौका स्थिति के अनुसार खसरा नंबर 70 के स्थान पर 3470/1 व 3470/1 के स्थान पर 3470 किया जाना उचित है वं ख0न0 3537 की उत्तरी पूर्वी मेड 3536 की पूर्वी मेड व 3535 की पश्चिमी मेड सहारे 10 फीट चौडे रास्ते का अंकन किया जाना व सूरवाल ए के खसरा नंबर 7 की पूर्वी मेड के सहारे आदेशानुसार रास्ता दिया जाना व वादी द्वारा खसरा बर 355 में से रास्तो की एवज में 7.5X130 फीट भूमि अप्रार्थीगणों को दिया जाकर कार्ड में अमल करवाया जाना उचित होगा।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के नुसार बहस में बताया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 5 के पति स्व0 बाबूलाल व अन्य के विरूद्व तकासमे का वाद पत्र नवानी रामकरण बनाम मूलचंद वगै0 नम्बरी 9/23 श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत त्या था जो दिनांक 24.06.2005 को सभी पक्षकारान् की सहमति से राजीनामे के धार पर डिक्री फरमा दिया गया। प्रार्थी के भाई बाबूलाल का स्वर्गवास करीब 5 र्ष हो गये है तथा दूसरे भाई मूलचंद का स्वर्गवास हुये करीब 8 वर्ष हो गये तथा जरंगलाल का स्वर्गवास हुये करीब 3 वर्ष हो गये है। इस प्रकरण का विवाद केवल र्थी व अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के विरूद्व ही होने से केवल उन्हें ही इस प्रार्थना त्र मे पक्षकार बनाया गया है। राजीनामे के आधार पर किये गये बंटवारे में अन्य राजीयात के अलावा ख0न0 3470 में उत्तर दिशा की 0.25 है० भूमि प्रार्थी के स्से में आयी तथा इसमें शेष बची हुई 0.32 है0 दक्षिण तरफ की अप्रार्थी संख्या लगायत 4 के पिता अर्थात प्रार्थी के खास भाई बाबूलाल के हिस्से में आयी थी। रो भाईयो के हिस्से में आयी भूमि का बंटवारे के आधार पर नामांतकरण खुलकर रो भाई रामकरण, बाबूलाल, मूलचंद, बजरंगलाल के नाम खातेदारी में दर्ज कर गई जिसमें ख0न0 3470 कुल रकबा 0. 57 है0 में 0.25 है0 ख0न0 3470 के प में प्रार्थी के नाम दर्ज हुई तथा ख0न0 3470/1 रकबा 0.32 है0 के रूप में ई बाबूलाल के नाम दर्ज हुई एवं बाबूलाल की मृत्यु के उपरांत अप्रार्थी संख्या 2 गायत 5 के नाम दर्ज हो गई जो [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज चली आई है केवल त्र ख०न० 3470 से बने इन दो [illegible] दर्ज ना होने का ही वाद है जिसकी शुद्व किये जाने हेतु [illegible] किया है। अतः प्रार्थी का र्थना पत्र स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:37 IST
Reason: Self Attested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध कार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी मौजूद नक्शाशीट एवं ऑन लाईन री हुये नक्शा वाके ग्राम सूरवाल में सवाई माधोपुर से लालसोट की जाने वाले ड से लगती हुई राजस्व ग्राम सूरवाल बी के ख0न0 3470 रकबा 0.25 है0 के ा में एवं प्रार्थी की इस भूमि के बाद इससे इसके पीछे अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 भूमि ख0न0 3470/1 रकबा 0.32 है० को दर्ज किये जाने तथा इसके पीछे ।न0 3470/1 रकबा 0.32 है० दर्ज किये जाने तथा ऑन लाईन नक्शे मे ख0न0 '0 रकबा 0.25 है0 को इस रोड के अटेच लगते हुये एवं ख0न0 3470/1 रकबा 2 है0 को इसके पीछे दर्ज किये जाने व उसी प्रकार रास्ता बाबत् नक्शाशीट व ाबदी रिकोर्ड में रास्ता कायम कर ख0न0 354 व 355 राजस्व ग्राम सूरवाल मे ागमन हेतु 15 फिट चौडा एवं 130 फिट लम्बा रास्ता दक्षिण से उत्तर की और न0 357 मे से कायम कर दर्ज किये जाने व उसी प्रकार ख0न0 3536, 3537, ो गडार से लेकर ख0न0 3535 तक आवागमन के लिए 10 फिट चौडा रास्ता के सहारे सहारे जो ख0न0 3535 से 3530–31 तक बना हुआ कुँए तक जा है को भी दर्ज किये जाने बाबत पेश किया है। प्रकरण का अवलोकन किया ण प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट में पेश किया गया। 136 एलआरएक्ट का दायरा छोटा होता है जिसमें केवल तकनीकी त्रुटि ही की जा सकती है। प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व में शुद्व किये जाने का है जिसको गबाह/साक्ष्य/सबूतो के आधार पर ही जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत नही आने ारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 ारएक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 10/09/2025 को मेरे टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:37 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner